UPEW010029662020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा।

उपस्थितः आलोक कुमार श्रीवास्तव, ...(एच.जे.एस.)

(J.O.Code UP1546)

विशेष वाद संख्या–574/2020

CNR NO–UPEW010029662020

राज्य .... अभियोजन पक्ष।

प्रति

1– अमन कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार
निवासी मोहल्ला व्रतियान करहल जिला मैनपुरी

2– सचिन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र
निवासी टाकिज वाली गली करहल जिला मैनपुरी।

---अभियुक्तगण।

मु०अ०संख्या–59/2019

धारा–392,411 भारतीय दण्ड संहिता।

थाना–सैंफई।

जिला–इटावा।

अपराध कारित करने की तिथि–12.04.2019

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि–13.04.2019

आरोप पत्र पर संज्ञान की तिथि–06.10.2020

आरोप विरचन की तिथि–03.02.2021

अधिवक्ता अभियोजनपक्ष–श्री गौरव दीक्षित
विशेष लोक अभियोजक (आपराधिक)

J.O.Code UP1546

(**Alok Kumar Srivastava**)
Special Judge (DAA Act) Etawah.

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.05.04 12:22:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधिवक्ता प्रतिरक्षा पक्ष–श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
एवं श्री राम सेवक

–निर्णय–

1. अभियुक्तगण अमन कुमार व सचिन के विरूद्ध थाना पुलिस सैंफई जिला इटावा द्वारा मु०अ०संख्या–59/2019 धारा–392,411 भा० द० संहिता के अपराध में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर परीक्षण किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक **(प्रदर्श क–1)**इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा अमृता प्रियदर्शनी पुत्र श्री धर्मराज जैसवार द्वारा दिनांक 12.04.2019 को थाना प्रभारी सैंफई जिला इटावा को तहरीर दी गयी,जिसमें यह कथन किया गया है कि वह यू०पी०यू०एम०एस०में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत है। वह करहल मार्केट से लगभग 07:30 पी०एम०पर सैंफई ऑटो से उतरी और अपने रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल की तरफ पैदल जाने लगी। वह हॉस्टल के गेट से थोड़े पहले गेट के सामने पहुँची तभी पीछे से बाइक सवार दो व्यक्ति आये और उसके बगल से उसका पर्स छीनकर ले गये,फिर उसने आवाज लगायी तो पीछे से एक बाइक वाले भईया आ रहे थे उन्होंने उसका पीछा किया जिसमें से एक को पकड़ लिया जिसका नाम सचिन है और दूसरा भाग गया उसका पर्स तो मिल गया पर उसमें मोबाइल नहीं था जिसका मोबाइल नम्बर–8755225265 की सिम पड़ी है तथा उसमें फिल्लीप कवर के पॉकेट में ए०टी०एम०कार्ड,बैंक ऑफ बड़ौदा का रखा था,उसके पर्स में 120 रूपये व वोटर आई०डी०की छायाप्रति तथा उसका एक फोटो है,जिसकी सूचना भईया ने 100 नम्बर पर कॉल कर पुलिस को दी,इस पुलिस सूचना पर पुलिस आ गयी और सचिन को मय मोटर साइकिल टी०वी०एस०फोनेक्स नम्बर UP75R/6670 के साथ भईया व 100 नम्बर पुलिस की मदद के साथ थाने आयी है,उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें उसका मोबाइल सैमसंग A7 ट्रिपल कैमरा वाला है।

3. वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सैंफई जिला इटावा में दिनांक 13.04.2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०संख्या 59/2019 धारा–392,411 भा०द०संहिता में अभियुक्त सचिन व एक अज्ञात के विरूद्ध दर्ज की गयी। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक विपिन कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रकरण में घटनास्थल का नक्शानजरी तैयार किया गया। गवाहों के बयान अंकित किये गये। प्रकरण में अभियुक्त सचिन को मौके से ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व वादिनी मुकदमा का एक अदद लेडीज बैग रंग न्यू पिंक कलर,जिसमें 120 रूपये व एक छायाप्रति वोटर आई०डी० व एक फोटो थी, अभियुक्त उपरोक्त से बरामद किया गया,जिसके सम्बन्ध में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–4 तैयार की गयी। दौरान विवेचना प्रकरण में मौके से गिरफ्तार किये गये सह अभियुक्त सचिन के बयान के आधार पर अभियुक्त अमन कुमार का नाम प्रकाश में आया। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण सचिन व अमन कुमार के विरूद्ध धारा 392,411 भा०द०संहिता में आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्तगण सचिन व अमन कुमार के उपस्थित आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 03.02.2021 को धारा–392 भा०द०संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया,जिससे उन्होंने इंकार किया एवं परीक्षण की मांग की।

5. प्रकरण में अभियुक्त सचिन के विरूद्ध दिनांक 03.02.2021 को धारा–411 भा०द०संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया,जिससे उसने इंकार किया एवं परीक्षण की मांग की।

6. अभिलेखीय साक्ष्य में अभियोजन की तरफ से अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित प्रस्तुत/साबित कराये गये हैंः–

1– **प्रदर्श क–1** तहरीर वादिनी (पी०डब्लू०–1 द्वारा साबित)

2– **प्रदर्श क–2** प्रथम सूचना रिपोर्ट (पी०डब्लू०–2 द्वारा साबित)

3– **प्रदर्श क–3** जी०डी०(पी०डब्लू०–2 द्वारा साबित)

4– **प्रदर्श क–4** फर्द बरामदगी (पी०डब्लू०–4 द्वारा साबित)

5– **प्रदर्श क–5** नक्शानजरी(पी०डब्लू०–4 द्वारा साबित)

6– **प्रदर्श क–6** आरोप पत्र (पी०डब्लू०–4 द्वारा साबित)

7– **वस्तु प्रदर्श–1** छायाप्रति वोडर आई०डी०कार्ड
(पी०डब्लू०–1 द्वारा साबित)

8– **वस्तु प्रदर्श–2** पासपोर्ट साइज फोटो वादिनी
(पी०डब्लू०–1 द्वारा साबित)

9– **वस्तु प्रदर्श–3** सौ रूपये का एक नोट नम्बर–2BD891269
(पी०डब्लू०–1 द्वारा साबित)

10– **वस्तु प्रदर्श–4** दस रूपये का सिक्का (पी०डब्लू०–1 द्वारा साबित)

11– **वस्तु प्रदर्श–5** दस रूपये का सिक्का (पी०डब्लू०–1 द्वारा साबित)

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है–

पी०डब्लू०–1 अमृता प्रियदर्शनी (वादिनी मुकदमा)

पी०डब्लू०–2 सत्येन्द्र यादव

पी०डब्लू०–3 एस०आई०राजबहादुर सिंह

पी०डब्लू०–4 उपनिरीक्षक विपनि कुमार (विवेचक)

8. अभियुक्तगण सचिन व अमन कुमार के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०अंकित किये गये,जिसमें उसने घटना को गलत व झूठ बताते हुये साक्षियों के बयान को झूंठा,झूठा आरोप पत्र साबित करने,पुलिस द्वारा फर्जी कार्यवाही किये जाने एवं उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा चलाने कथन करते हुये स्वंय को पुलिस द्वारा झूंठा फंसाये जाने का कथन किया गया। अभियुक्त सचिन द्वारा चुनाव की रंजिश से उसको घर से पकड़कर झूठा आरोप लगाकर बंद करने का कथन अपने बयान 313 द०प्र०संहिता में किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य न देने का भी कथन किया गया।

9. अभियुक्त अमन की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय** द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अमन को न तो मौके से गिरफ्तार किया गया है और न ही उसके पास से कोई बरामदगी ही है। इस मामले में अभियुक्त अमन का नाम मौके से गिरफ्तार किये गये सह अभियुक्त सचिन के बयान के आधार पर आया है। अभियोजन द्वारा वादिनी के साथ उसकी सहेली का भी होना बताया है,परन्तु उसको परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना के समय डायल 100 में फोन करना बताया गया है,परन्तु उनमें से किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। तहरीर पर वादिनी के हस्ताक्षर नहीं है जबकि वादिनी पढ़ी लिखी महिला है। साक्षी पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। चुनावी रंजिश के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। इस घटना में अभियुक्त अमन की कोई भूमिका नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश किया गया है उससे अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अभियुक्त अमन दोषमुक्त किये जाने योग्य है,ऐसी याचना की गयी।

10. अभियुक्त सचिन की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री राम सेवक** द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पर्स की कोई फर्द नहीं बनी है और न ही उसकी पहचान हुयी है। अभियोजन कथानक के अनुसार मौके पर वादिनी के साथ उसकी सहेली भी थी,परन्तु अभियोजनपक्ष द्वारा उसको परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश किया गया है उससे अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अभियुक्त सचिन दोषमुक्त किये जाने योग्य है,ऐसी याचना की गयी।

11. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक **श्री गौरव दीक्षित** द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने दिनांक 12.04.2019 को समय 07:30 बजे स्थान रानी

लक्ष्मीबाई हास्टल,के पहले गेट से पहले सैफई अन्तर्गत थाना सैफई जिला इटावा में वादिनी अमृता प्रियदर्शनी का पर्स,जिसमें 120 रूपये, छायाप्रति वोटर आईडी,एक फोटो व मोबाइल था,की लूट कारित की तथा प्रकरण में अभियुक्त सचिन को मौके पर ही पकड़ लिया एवं अभियुक्त सचिन से एक अदद लेडीज बैग जिसमें 120 रूपये,एक छायाप्रति वोटर आई.डी.व एक फोटो बरामद हुये। अभियोजन की ओर से मामले में चार साक्षियों को परीक्षित कराया गया है उनके साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है,ऐसी याचना की गयी।

12. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

13. अभियुक्तगण सचिन व अमन कुमार पर यह आरोप है कि दिनांक 12.04.2019 को समय 07:30 बजे स्थान रानी लक्ष्मीबाई हास्टल, के पहले गेट से पहले सैफई अन्तर्गत थाना सैफई जिला इटावा में आपने वादिनी अमृता प्रियदर्शनी का पर्स जिसमें 120 रूपये, छाया प्रति वोटर आईडी,एक फोटो व मोबाइल की लूट कारित की।

14. अभियुक्त सचिन यह भी आरोप है कि दिनांक उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर वादिनी अमृता प्रियदर्शनी की आवाज पर एक बाइक वाले भाई द्वारा आपको मौके पर ही पकड़ लिया एवं थाना सैफई इटावा लाया गया वहां पर आप अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से एक अदद लेडीज बैग जिसमें 120 रूपये,छायाप्रति वोटर आईडी,एक फोटो बरामद हुआ।

15. विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि आपराधिक मामलों में अभियोजन कथानक को सिद्ध करने का भार अभियोजनपक्ष पर होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **कलीराम बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ए०आई०आर० 1973 एस०सी०**

2773 में प्रतिपादित किया गया है कि–

In a criminal trial the onus is upon the prosecution to prove the different ingredient of the offence and unless it discharges that onus,it cannot succeed.

16. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **दौलतराम बनाम पंजाब राज्य 1997(34)ए०सी०सी० 839** में प्रतिपादित किया गया है कि–

The prosecution has to stand on its own legs and can derive no advantage from the weakness of the defence.

17. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी आपराधिक मामले को प्रमाणित करने का मूल एवं प्रारम्भिक दायित्व अभियोजनपक्ष पर है। यह भी सुस्थापित सिद्वान्त है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य उस गुणात्मक श्रेणी का हो,कि न्यायालय उसके आधार पर केवल एक ही निष्कर्ष निकाल सके कि अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध कारित किया गया है।

18. मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आरोप को सिद्व करने के लिये कुल चार साक्षीगण परीक्षित कराये गये है एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श क–1 लगायत प्रदर्श क–6 को साबित किया है।

19. अभियोजनपक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है वह निम्नवत है–

20. अभियुक्तगण सचिन व अमन कुमार के विरूद्ध आरोप को साबित करने के लिये **पी०डब्लू०–1 अमृता प्रियदर्शनी** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 12.04.2019 को करहल से हास्टल सैंफई जा रही थी। करहल मार्केट में लगभग 07:30 बजे शाम सैंफई के लिये ऑटो से उतरी तथा अपने रानी लक्ष्मीबाई हास्टल की तरफ पैदल जाने लगी तभी वह हास्टल के गेट से थोडे

पहले गेट के सामने पहुंची तभी पीछे बाइक सवार दो व्यक्ति आये और बगल से उसका पर्स छीनकर ले गये,उसके आवाज लगाने पर पीछे से एक बाइक वाले भैया आ रहे थे,उन्होंने पीछा किया,जिसमें से एक को पकड़ लिया, जिसका नाम सचिन था तथा दूसरा भाग गया था,उसके पर्स में एक वोटर आई०डी०की फोटोकापी थी,एक उसका फोटो था तथा करीब 120 रूपये थे। उन्हीं भैया ने 100 नम्बर डायल कर पुलिस को सूचना दी थी,जिस पर पुलिस आ गयी थी और सचिन को मय मोटरसाइकिल के ले गयी थी। वह भी पुलिस के साथ थाने गयी थी और तहरीर उसने अपने हाथों से लिखकर दी थी,जो पत्रावली में कागज सं० 5 क है,जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं,जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया,को इस साक्षी द्वारा साबित किया गया। हाजिर अदालत मुल्जिमान सचिन को देखकर कहा कि यह वही लुटेरा है,जो उसका पर्स छीनकर भागा था तथा दूसरा फोन लेकर भागा था। हाजिर अदालत माल मुकदमा मौजूद है,एक सील्ड बण्डल सफेद कपड़े को खोला गया,जिस पर मु०अं०सं० 59/19 धारा–392,411 भा०दं०संहिता थाना सैंफई बनाम सचिन,जिस पर अभियुक्त सचिन व वादिनी अमृता प्रियदर्शनी के हस्ताक्षर हैं, खोलने पर एक हैंड बैग जो,माईडी पिंक का है,जो उसका ही है,उसको खोलने पर एक वोटर आई०डी० की छायाप्रति है,जिस पर **वस्तु प्रदर्श क–1** डाला गया। एक पासपोर्ट साइज फोटो जो उसका ही है,जिस पर **वस्तु प्रदर्श क–2** डाला गया तथा एक नोट 100 रूपये का,जिसका नम्बर 2BD89 1269 है,दो सिक्के10–10 रूपये के थे लगभग 120 रूपये थे,जिस पर **वस्तु प्रदर्श 3,4,5** डाला गया।

21. **पी०डब्लू०–2 कां०सत्येन्द्र यादव** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 13.04.2019 को वह थाना सैफई में कां०क्लर्क के पद पर तैनात था। दिनांक 13.04.2019 को वादिनी मुकदमा की तहरीर उसने पर उसने कम्प्यूटर क्लर्क को मु०अं०सं०–59/2019 धारा–392,411 भा०दं०संहिता थाना

सैफई बनाम अमन सचिन व एक अज्ञात के विरूद्ध बोल–बोल कर लिखायी थी, जो पत्रावली में कागज सं०–4 क/1 लगायत 4 क/2 है, जिस पर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया है,जिसे इस साक्षी ने साबित किया है। उक्त मुकदमे का खुलासा उसने रपट संख्या 2 समय 00:50 बजे दिनांक 13.04.2019 पर किया था,जो पत्रावली में संलग्न कागज सं०–4 क/3 है, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया,जिसे इस साक्षी ने साबित किया। जी०डी० की प्रमाणित प्रति वह साथ लेकर आया है।

22. **पी०डब्लू०–3 उपनिरीक्षक राजबहादुर सिंह** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 12/13.04.2019 को थाना सैफई में है०मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को समक्ष गवाहन कां०शरद कुमार,कां०रामशरण थाना सैफई व आगन्तुका प्रियदर्शनी पुत्री धर्मराज के अभियुक्त सचिन पुत्र सुभाष चन्द्र छीने गये बैग लेडीज बैग पिंक कलर जिसमें 120 रूपये,एक छायाप्रति वोटर आई०डी० व एक फोटो को कब्जा पुलिस लेकर उक्त सामान को उसी पर्स में रखकर चैन बंदकर एक कपड़े में रखकर सीलकर सर्व सील मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था। फर्द उसके द्वारा टाइप कराकर,पढ़ाकर, सुना कर हमराही व गवाहन के हस्ताक्षर बनवाये गये। उक्त फर्द बरामदगी संलग्न पत्रावली में 7 क है,जो टाइपशुदा है,उसके व वादिनी व गवाहान के हस्ताक्षर हैं,जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया है।

23. **पी०डब्लू०–4 उपनिरीक्षक विपिन कुमार** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 13.04.2019 को वह थाना सैफई में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को मु०अं०सं०–59/2019 धारा–392,411 भा०दं०संहिता बनाम सचिन व अज्ञात 1 थाना सैफई के विरूद्ध विवेचना ग्रहण कर पर्चा नं०–1 किता किया था,जिसमें नकल तहरीर, नकल रपट,बयान एफ०आई० आर० लेखक, फर्द बरामदगी, गिरफ्तारी, बयान वादिया अमृता प्रियदर्शनी ,बयान

अभियुक्त सचिन अंकित कर वादिनी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल पर जाकर नक्शा नजरी तैयार कर बयान गवाह दुलारी देवी अंकित किये गये। नक्शा नजरी संलग्न पत्रावली में का०सं०–8क है,जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है,जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया है,को इस साक्षी द्वारा साबित किया गया। बयान कां०–शरद कुमार कां० रामशरण, है०मो० राजबहादुर व बयान अभियुक्त अमन कुमार अंकित कर तमामी विवेचना बयान वादिनी बयान गवाहान,बयान फर्द बरामदगी। गिरफ्तारी गवाहान,निरीक्षण घटनास्थल व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण सचिन पुत्र सुभाष चन्द्र व अमन कुमार पुत्र राजेश कुमार के विरूद्ध धारा–392,411 भा०दं०संहिता बनाम सैफई के आरोप सं०–40/2019 दिनांक 18.05.2014 माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया,जो पत्रावली में संलग्न का०सं०–3क/3 है,जिस पर उसके व प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं,जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया,को इस साक्षी द्वारा साबित किया गया।

24. बचावपक्ष की ओर से सर्वप्रथम यह तर्क दिया गया कि वादिनी एक पढ़ी लिखी महिला है,परन्तु तहरीर पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली में वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर को स्वंय वादिनी द्वारा बतौर प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है और इस तहरीर पर जहाँ प्रार्थिनी शब्द लिखा है उसी के ठीक बगल में अंग्रेजी भाषा में वादिनी का हस्ताक्षर है और यह हस्ताक्षर वादिनी जब न्यायालय में बतौर पी०डब्लू०–1 परीक्षित हुयी तो उस पर बने हस्ताक्षर से मेल खाता है। अतः बचावपक्ष का यह तर्क कि तहरीर पर वादिनी के हस्ताक्षर नहीं है,यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

25. वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह घटना दो लोगों के द्वारा कारित की गयी है जिसमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया और दूसरा वहाँ से भाग गया,जो व्यक्ति मौके से पकड़ा गया उसका नाम सचिन है और वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर सचिन व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा–392,411 भा०

द०संहिता में दर्ज हुआ। अभियुक्त अमन की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त अमन न तो मौके से गिरफ्तार हुआ और न ही उससे कोई बरामदगी हुयी। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त अमन मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। यहाँ तक कि अभियुक्त अमन से कोई बरामदगी भी नहीं करायी गयी है। इस मामले में विवेचक को अभियोजन के द्वारा बतौर पी०डब्लू०–4 परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त अमन का नाम अभियुक्त सचिन के द्वारा बताया गया है उसी हिसाब से उसने केस डायरी में खुलासा किया था। विवेचक ने यह भी साक्ष्य दिया है कि उसने जेल में निरूद्ध अभियुक्त अमन की शिनाख्त वादिनी से नहीं करायी थी। इस प्रकार विवेचक के बयान से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अमन का नाम सह अभियुक्त सचिन के बताने पर प्रकाश में आया और यह भी स्पष्ट है कि जब अभियुक्त अमन गिरफ्तार किया गया तब उसकी शिनाख्त कार्यवाही भी वादिनी से दौरान विचारण नहीं करायी गयी। इसी प्रकार वादिनी जब न्यायालय में बतौर पी० डब्लू०–1 परीक्षित हुयी तब उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियुक्त अमन के बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त अमन कुमार के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः **अभियुक्त अमन कुमार** को धारा 392 भा०द०संहिता के दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

26. जहाँ तक अभियुक्त सचिन का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में घटना दिनांक 12.04.2019 सायं 07:30 बजे की बतायी जाती है,जिसके सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट रात्रि 00:50 बजे अर्थात रात्रि में दिनांक 13.04.2019 को दर्ज किया गया है। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त सचिन नामजद है। पत्रावली में जी०डी०कायमी प्रदर्श क–3 के रूप में साबित है,उक्त जी०डी०

संख्या–2 दिनांकित 13.04.2019 समय 00:50 बजे किता किया गया है जिसमें प्रविष्टि कां० 1173 सतेन्द्र यादव द्वारा किया गया है,जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त सचिन को मय एक अदद पर्स जिसमें 120 रूपये व एक छायाप्रति वोडर आई०डी०कार्ड व एक फोटो थी और यह अभियुक्त सचिन के कब्जे से वादिनी का पर्स छीनने के बाद बरामद हुआ है जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो वह मोटर साइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर UP75R/6670 से था और उक्त मोटर साइकिल के कागजात न दिखाने के कारण उक्त मोटर साइकिल को धारा–207 एम०वी० एक्ट में सीज किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी तब उसी समय अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया है। वादिनी जब न्यायालय में बतौर पी०डब्लू०–1 परीक्षित हुयी तब वादिनी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि–''हाजिर अदालत मुल्जिम सचिन को देखकर कहा कि यह वहीं लुटेरा है जो मेरा पर्स छीनकर भागा था।'' अर्थात अभियुक्त सचिन को देखकर वादिनी द्वारा पहचान किया गया और इस बात की पुष्टि की गयी है कि यह वहीं सचिन है जिसने उसका पर्स लूटा था। तहरीर में वादिनी ने जो कथन किये है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब उसका पर्स लूटकर दो लोग भाग रहे थे तो पीछे से एक दूसरे बाइक वाले भईया आये और जब पीछा किया तो उन दो में से एक को बाइक वाले भईया ने पकड़ लिया जिसका नाम सचिन था। यहीं बयान वादिनी ने न्यायालय में भी दिया है। जहाँ तक बचावपक्ष का यह तर्क कि इस मामले में वादिनी की सहेली भी मौके पर थी तथा जिस मोटर साइकिल वाले ने अभियुक्त सचिन को पकड़ा उसको अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है अर्थात इस मामले में किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

27. यहाँ पर यह उल्लिखित किया जाना उचित है कि किसी मामले को साबित करने के लिये एकमात्र साक्षी का साक्ष्य भी पर्याप्त होता है। इस सम्बन्ध में यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की

धारा–134 के अनुसार साक्षी की संख्या महत्वपूर्ण न होकर,साक्षी का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है।

28. इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वीर सिंह बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2014 एस०सी० (सप्ली) 615** में यह अवधारित किया गया है कि न्यायालय मात्र एक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित कर सकती है,यदि वह विश्वसनीय है। साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण न होकर उनका साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। साक्ष्य विधि में ऐसा कहीं भी प्राविधानित नहीं है कि किसी विशिष्ट तथ्य को साबित किये जाने हेतु साक्षियों के किसी विशिष्ट संख्या का परीक्षित होने की आवश्यकता है। साक्ष्य को प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा मापा जाना चाहिये,न कि उनकी गिनती की जानी चाहिये।

29. जहाँ तक बचावपक्ष द्वारा यह तर्क कि इस मामले में अभियोजनपक्ष की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तो मात्र इस कारण से अभियोजन कथानक संदेहास्पद नहीं हो जाता है। अपितु न्यायालय को अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त ही निष्कर्ष अभिलिखित करना होता है। इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Surider Kumar Vs State of Punjab** (2020)2 **SCC** 563 विचारणीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

If a witness examined in the court is otherwise found reliable and trustworthy, the fact sought to be proved by that witness need not be further proved through other witnesses though there may be other witnesses available who could have been examined but were not examined. Non-examination of material witness is not a mathematical formula for discarding the weight of the testimony available on record however natural, trustworthy and convincing it may be. It is settled law that non-examination of eye-witness

cannot be pressed into service like a ritualistic formula for discarding the prosecution case with a stroke of pen. Court can convict an accused on statement of sole witness even if he is relative of the deceased and non examination of independent witness would not be fatal to the case of prosecution. Non-examination of independent eye witnesses is inconsequential if the witness was won over or terrorised by the accused.

30. इस मामले में जो घटना घटी है वह वादिनी के साथ घटी है उसके द्वारा जो पर्स लूटना बताया गया है वहीं पर्स बरामद भी हुआ है और वह दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी हुआ है। वादिनी द्वारा न्यायालय में मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि–''आज हाजिर अदालत में माल मुकदमा उपस्थित है। एक शील्ड बण्डल सफेद कपड़े को खोला गया जिस पर मु०अ०सं०–59/2019 धारा–392,411 भा०द०सं० थाना सैंफई बनाम अभियुक्त सचिन पुत्र सुभाषचन्द्र जिस पर अभियुक्त सचिन व वादिनी अमृता प्रियदर्शनी के हस्ताक्षर है। खोलने पर एक हैण्ड बैग जो न्यूड पिंक का है,जो मेरा ही है।'' इस प्रकार न्यायालय में जो हैण्ड बैग/पर्स बतौर माल मुकदमाती पेश किया गया,उसको देखकर वादिनी मुकदमा ने शिनाख्त किया और यह साक्ष्य दिया कि यह वहीं बैग है,जो उससे लूटा गया था। इस लूटे गये हैण्ड बैग में जो जो सामान था उसमें से एक वोटर आई०डी० की छायाप्रति,वादिनी का पासपोर्ट साइज फोटो,एक सौ रूपये का नोट एवं दो सिक्के थे,जिसको अभियोजनपक्ष द्वारा बतौर वस्तु प्रदर्श–1,वस्तु प्रदर्श–2,वस्तु प्रदर्श–3,वस्तु प्रदर्श–4 व वस्तु प्रदर्श–5 के रूप में साबित कराया गया है। वस्तु प्रदर्श–1,वस्तु प्रदर्श–2, वस्तु प्रदर्श–3,वस्तु प्रदर्श–4 व वस्तु प्रदर्श–5 ये वहीं सामान है जो वादिनी के पर्स में मौजूद थे जो दौरान गिरफ्तार अभियुक्त सचिन से मौके पर बरामद हुये हैं तथा वादिनी ने दौरान विचारण न्यायालय में देखकर उनकी पहचान भी की और उसने यह स्पष्ट साक्ष्य दिया है कि ये वहीं सामान है जो उसके पर्स में था,जब पर्स लूटा गया था। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त सचिन के विरूद्ध

धारा–392 भा०द०संहिता के साथ साथ धारा–411 भा०द०संहिता का भी आरोप है,जब बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि उसे इस मामले में चुनावी रंजिश के कारण झूठा फंसा दिया गया है। परन्तु वो कौन सी चुनावी रंजिश है इस बाबत अभियुक्त पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है। यह स्पष्ट है कि अभियोजन को अपना केस स्वंय ही साबित करना होता है,यदि अभियुक्त अपनी सफाई में कोई साक्ष्य नहीं देता है तो इससे उसकी दोषिता साबित नहीं होती है,परन्तु जब समस्त परिस्थितियां विपरीत हों तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को यह बताना आवश्यक होता है कि उसके पास कथित लूट का सामान कैसे बरामद हुआ, जबकि इस मामले में अभियुक्त को जब पकड़ा गया तो लूटा हुआ पर्स अभियुक्त कब्जे से ही मौके पर बरामद हुआ है।

31. इस बिन्दु पर **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था त्रिंमबक बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1954 SC 39, AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 39 विचारणीय है,** जिसमें धारा–411 भा०द०संहिता के अपराध को साबित करने के लिये पैरा–5 में मुख्यतः तीन आवश्यक तत्व बताये गये है,जोकि इस प्रकार है –

It is the duty of the prosecution in order to bring home the guilt of a person under Section 411 I.P.C. to prove, **(1)** that the stolen property was in the possession of the accused, **(2)** that some person other than the accused had possession of the property before the accused got possession of it, and **(3)** that the accused had knowledge that the property was stolen property.

32. इस मामले में अभियुक्त सचिन के पास से जो सामान बरामद हुआ है वह लूट का था और अभियुक्त के कब्जे से पहले उस पर वादिनी का कब्जा था।

33. इस प्रकार अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया

है, उनके विश्लेषण से न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त अमन कुमार के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–392 भा०द० संहिता को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अभियोजनपक्ष अभियुक्त सचिन के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–392,411 भा० द०संहिता को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

34. उपरोक्त सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त अमन कुमार के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा–392 भा०द०संहिता को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त अमन कुमार लगाये गये आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

35. अभियोजन पक्ष अभियुक्त सचिन के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा–392,411 भा०द०संहिता को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त सचिन आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–392, 411 भा० द०संहिता में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अमन कुमार को धारा–392 भा०द०संहिता के दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं उसके स्वबन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूओं को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त द्वारा धारा–437(A)द०प्र०संहिता के तहत मुवलिग 20,000/–रूपये की दो जमानतें अन्दर सप्ताह पेश की जाये,जो निर्णय उपरान्त 6 माह तक प्रभावी रहेगी।

अभियुक्त सचिन को अन्तर्गत धारा–392,411 भा०द०संहिता में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त सचिन जमानत पर है उसके स्वबंधपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते है। अभियुक्त सचिन को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

J.O.Code UP1546

(**Alok Kumar Srivastava**)
Special Judge (**DAA Act**) **Etawah**.

दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पत्रावली लंच बाद पुनः प्रस्तुत हो।

दिनांक–30.04.2026

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।
(J.O.Code UP1546)

दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हुई। अभियुक्त सचिन न्यायिक अभिरक्षा में है।

सजा के बिन्दु पर अभियुक्त सचिन एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा समस्त परिस्थितियों पर विचार किया।

सिद्धदोष अभियुक्त सचिन के विद्वान अधिवक्ता ने सजा के प्रति नरमी बरतने व उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि वह निर्धन व्यक्ति है एवं उसका प्रथम अपराध है। कठोर दण्ड उसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा। अतः सजा में नरमी बरतने की कृपा की जाये, जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्त एक शातिर अपराधी है। अतः उसे अधिकतम कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

प्रस्तुत मामले में यह सिद्ध हो चुका है कि अभियुक्त सचिन द्वारा वादिनी मुकदमा के पर्स की लूट कारित की गयी तथा अभियुक्त को मौके से पकड़ा गया है और उससे बरामदगी भी हुयी है। यह कृत्य गंभीर श्रेणी के अन्तर्गत आता है। जहाँ तक यह तर्क कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है तो इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध सात वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है,ऐसी स्थिति में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना विधि संगत नहीं है।

उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के उपरान्त तथा अभियुक्त सचिन की पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्क को दृष्टिगत रखते हुए तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त सचिन को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

सिद्धदोष अभियुक्त सचिन को भा०द०संहिता की धारा 392 के आरोप में 3 वर्ष के कठिन कारावास की सजा से तथा 2000/–रुपये

(दो हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में सिद्धदोष अभियुक्त 02 माह(दो)के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

सिद्धदोष अभियुक्त सचिन को भा०द०संहिता की धारा–411 के आरोप में 2 वर्ष के कारावास की सजा से तथा 1000/–रुपये (एक हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में सिद्धदोष अभियुक्त 1 माह (एक) के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि धारा–428 दं०प्र०संहिता का लाभ देते हुए सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजायें साथ साथ चलेंगी।

अभियुक्त का दोषसिद्धी वारण्ट तैयार कर उसके अधीन सजा भुगतने के लिए केन्द्रीय जिला कारागार, इटावा को प्रेषित किया जाए।

अपील परिसीमा समाप्त होने के पश्चात अर्थदण्ड की धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी,इटावा को आवश्यक प्रमाणपत्र जारी हो।

अभियुक्त को इस निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए तथा निर्णय की एक प्रति केन्द्रीय जिला कारागार,इटावा को भी प्रेषित की जाए।

दिनांक–30.04.2026 **(आलोक कुमार श्रीवास्तव)**

विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा।

(J.O.Code UP1546)

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–30.04.2026 **(आलोक कुमार श्रीवास्तव)**

विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा।

(J.O.Code UP1546)

J.O.Code UP1546

(**Alok Kumar Srivastava**)

Special Judge (**DAA Act**) **Etawah**.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दाण्डिक अपील संख्या (एस) 2973/2023 मनोज भाई जेठा भाई परमार (रोहित) बनाम गुजरात राज्य** में पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2025 में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना।

जांचे गये गवाहों की सूची

अभियोजन गवाह संख्या	अभियोजन गवाह का नाम	विवरण
पी०डब्लू०–1	अमृता प्रियदर्शनी	वादिनी मुकदमा
पी०डब्लू०–2	सत्येन्द्र यादव	एफ०आई०आर०लेखक
पी०डब्लू०–3	एस०आई०राजबहादुर	फर्द बरामदगी के गवाह
पी०डब्लू०–4	उपनिरीक्षक विपिन कुमार	विवेचक

प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची

प्रदर्श नम्बर	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा सत्यापित/साबित किया
प्रदर्श क–1	तहरीर वादिनी	पी०डब्लू०–1
प्रदर्श क–2	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू०–2
प्रदर्श क–3	जी०डी०	पी०डब्लू०–2
प्रदर्श क–4	फर्द बरामदगी	पी०डब्लू०–4
प्रदर्श क–5	नक्शानजरी	पी०डब्लू०–4
प्रदर्श क–6	आरोप पत्र	पी०डब्लू०–4

J.O.Code UP1546

(**Alok Kumar Srivastava**)

Special Judge (**DAA Act**) **Etawah**.

विशेष वाद संख्या–574/2020
राज्य बनाम अमन आदि ।

प्रदर्शित वस्तु प्रदर्श की सूची

वस्तु प्रदर्श नम्बर	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा सत्यापित/साबित किया
वस्तु प्रदर्श –1	छायाप्रति वोटर आई०डी०कार्ड	पी०डब्लू०–1
वस्तु प्रदर्श –2	पासपोर्ट साइज फोटो वादिनी	पी०डब्लू०–1
वस्तु प्रदर्श –3	सौ रूपये का एक नोट नम्बर 2BD891269	पी०डब्लू०–1
वस्तु प्रदर्श –4	दस रूपये का सिक्का	पी०डब्लू०–1
वस्तु प्रदर्श –5	दस रूपये का सिक्का	पी०डब्लू०–1

दिनांक–30.04.2026 **(आलोक कुमार श्रीवास्तव)**
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।
J.O.Code NO.U.P1546

J.O.Code UP1546
(**Alok Kumar Srivastava**)
Special Judge (**DAA Act**) **Etawah**.